न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी।

प्रथम पक्षः भेदनी देवी
पति–भगलाल हजरा
सा०खरियोडीह थाना–देवरी
जिला–गिरिडीह

बनाम

द्वितीय पक्षः सुखदेव हाजरा
तिलकधारी हाजरा
दशरथ हाजरा
पिता सुखदेव हाजरा
अर्जून हाजरा
पिता स्व0 तीतू हाजरा
सा0–खरियोडीह थाना–देवरी
जिला गिरिडीह।

केश संख्या : 06/20-21
केश का प्रकार :– विविधवाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित

भेदनी देवी पति भगलाल हाजरा साकिन खरियोडीह थाना देवरी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवदेन पत्र देकर मुझे एक कीता जमीन सरकार द्वारा वासगीत पर्चा मेरे शसुर स्व0 बुधन हाजरा के नाम से मौजा खरियोडीह थाना नं0 36 खाता नं0 09/1 प्लॉट नं0 23/2 रकवा 12डी0 जमीन केश नं0 5/76–77 दिनांक 31.5.1976 को अंचल देवरी से मिली है। जिसपर मेरा मकान एवं इंदिरा आवास निर्मित है। सुखदेव हाजरा एवं उनकी पत्नी बलपूर्वक उक्त भूमि से बेदखल कर दिये। प्राप्त आवेदन पत्र पर हल्का राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। इस संबध में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.07.2020 को रखे।

7.7.2020
अंचल अधिकारी,
देवरी।

7/07/2020

23.07.2020 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख 30.07.2020 को रखे।

30/07/2020 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष ने कुछ व्यक्तियों के आपसी समझौता का पत्र समर्पित किया। द्वितीय पक्ष खतियान की प्रति प्रस्तुत करें। अभिलेख 20.8.2020 को रखें।

30.7.2020

20.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। आदेश पर रखें।

न्यायालय : अंचल अधिकारी, देवरी।

विविधवाद सं० - 06/2020-21

मेदनी देवी, पति- मगलाल हाजरा, खरियोडीह

बनाम

सुखदेव हाजरा वगैरह

प्रश्नगत भूमि — मौजा- खरियोडीह, थाना०नं० -36
खाता सं०9/1, प्लॉट सं०-23/2
रकबा - 12 डिसमिल।

प्रथम पक्ष मेदनी देवी का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उसके ससुर कुधन दुसाध को बिहार विशेष अधिकृत वासगीत पर्चा के द्वारा वाद सं० 05/1976-77 से प्राप्त है, जिसका लगान रसीद निर्गत होता रहा है।

प्रथम पक्ष के द्वारा वासगीत पर्चा की छाया प्रति, लगान रसीद सं० 774392 दिनांक XXXX, 3460514 दिनांक 17.12.2011 की छाया प्रति तथा ऑनलाईन पंजी II की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष का कथन है कि द्वितीय पक्ष के सुखदेव हाजरा एवं उनका परिवार प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर रहे हैं।

द्वितीय पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनकी रैयती भूमि है। साक्ष्य के रूप में आपसी बंटवारानामा (अपठनीय) तथा दो लगान रसीद (अपठनीय) प्रस्तुत किया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष- मेदनी देवी के ससुर कुधन दुसाध को बिहार विशेष अधिकृत वासगीत पर्चा वाद सं० 05/1976-77 से प्राप्त है, जिसका पंजी II के वॉल्यूम सं० मिश्रित पृष्ठ सं० 12 पर जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2010-11 तक लगान रसीद निर्गत है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष मकान बनाकर निवास कर रहे थे तथा वर्तमान

में भी निवास कर रहे हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा विधि सम्मत है। इस भूमि पर द्वितीय पक्ष सुखदेव हाजरा वो.रहे का दावा आधारहीन प्रतीत होता है।

चूंकि यह मामला स्वत्ववाद से संबंधित है। अत: क्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

[signature] 20.08.2020
अंचल अधिकारी
देवरी

[signature] 20.08.2020
अंचल अधिकारी
देवरी।